फा. सं. AV-20015/12/2019-एडी

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली

दिनांक: 1 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु
बेंगलुरु - 560300

विषय: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु के संबंध में रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

संदर्भ:

1. दिनांक 5 जुलाई 2004 और 20 नवंबर, 2006 का रियायत समझौता।
2. बीआईएएल का पत्र सं. बीआईएएल /एमडीएण्ड सीइओ/2019-20 दिनांक 17 सितंबर, 2019।
3. बीआईएएल का पत्र सं. बीआईएएल /एमडीएण्ड सीइओ/2019-20 दिनांक 18 नवंबर, 2019।
4. नागर विमानन मंत्रालय का पत्र सं. एवी-20015/12/2018-एडी दिनांक 26 नवंबर, 2019।
5. कर्नाटक सरकार का आदेश सं. आईडीडी 120 डीआईए 2019 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020।
6. कर्नाटक सरकार का पत्र सं. आईडीडी 120 डीआईए 2019 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020।
7. बीआईएएल का पत्र सं. बीआईएएल /एमडीएण्ड सीइओ दिनांक 22 अक्टूबर, 2020।
8. बीआईएएल का पत्र सं. बीआईएएल/एसइसी/2020-21 दिनांक 3 मार्च, 2021।

महोदय,

यह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच दिनांक 5 जुलाई, 2004 को हस्ताक्षरित रियायत समझौते के संदर्भ में है।

2. बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने बोर्ड (जिसके अध्यक्ष कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव हैं) के अनुमोदन से, रियायत समझौते के अनुच्छेद सं. 13.7.1 में दिए गए प्रावधान के अनुसार 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के अपने इरादे और निर्णय को अधिसूचित करते हुए, पत्र दिनांक 17 सितंबर, 2019 (अनुलग्नक-I) के माध्यम से भारत सरकार से रियायत की अवधि के विस्तार का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के बाद बीआईएएल की ओर से पत्र दिनांक 18 नवंबर, 2019 (अनुलग्नक-II) के माध्यम से एक और अभ्यावेदन दिया गया था।

3. बीआईएएल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का इस मंत्रालय में परीक्षण किया गया और निम्नलिखित बातें नोट की गई हैं:

i. रियायत समझौते का अनुच्छेद 3.4.1 बीआईएएल को हवाईअड्डे के विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, चालू करने (कमीशनिंग), रखरखाव, संचालन और प्रबंधन का अधिकार और विशेषाधिकार (रियायत) प्रदान करता है (आरक्षित गतिविधियों को करने और संचार एवं नेविगेशन निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के अधिकार को छोड़कर, जो एएआई (AAI) द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक हैं) । इस रियायत समझौते को 20 जनवरी, 2004 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ था।

ii. रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.7.1 के अनुसार, जब तक कि अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 13.4 के अनुसार या पक्षों के बीच लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए, रियायत समझौता इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार हवाईअड्डा उद्‌घाटन तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ तक पूरी तरह प्रभावी रहेगी, जिसके बाद समझौते की अवधि को बीआईएएल के विकल्प पर आगे तीस (30) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

iii. हवाईअड्डा उद्‌घाटन तिथि, जब हवाईअड्डा परियोजना पूरी हुई थी और वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था, दिनांक 24 मई, 2008 (अधिसूचना अनुलग्नक-III पर) के रूप में दर्ज की गई है, जो बदले में रियायत समझौते की वर्तमान अवधि दिनांक 23 मई, 2038 तक तय करती है। अनुच्छेद 13.7.1 के प्रावधानों के अनुसार, बीआईएएल हवाईअड्डा उद्‌घाटन तिथि की सत्ताइसवीं (27वीं) वर्षगांठ यानी 23 मई, 2035 से पहले किसी भी समय रियायत समझौते की अवधि को और 30 वर्षों तक बढ़ाने की मांग कर सकता है।

iv. अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 (अनुलग्नक-IV) के अनुसार, बीआईएएल ने अवगत कराया है कि हवाईअड्डे के बड़े विस्तार और संबंधित अवसंरचना के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए रियायत समझौते का विस्तार बीआईएएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ती मांगों और कर्नाटक में आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह विस्तार ऋणदाताओं के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, जो उधार के लिए परियोजना ऋण पुनर्भुगतान अवधि से परे स्पष्ट समय अवधि उपलब्ध होने की उम्मीद करते हैं।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एवी.20015/ 12/ 2019-AD दिनांक 26 नवंबर, 2019 (अनुलग्नक-V) के माध्यम से बीआईएएल में एक महत्वपूर्ण हितधारक और शेयरधारक होने के नाते कर्नाटक सरकार से

टिप्पणियां / सिफारिशें मांगी थीं। कर्नाटक सरकार ने पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2020 (अनुलग्नक-VI) के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय को आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 में परिकल्पित शर्तों के अधीन, दिनांक 24 मई 2038 से आगे 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते के विस्तार के बीआईएएल के प्रस्ताव पर अपनी सहमति की जानकारी दी।

5. कर्नाटक सरकार ने आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 (अनुलग्नक-VII) के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 24 मई, 2038 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते के विस्तार और रियायत समझौते के साथ सह-सावधि भूमि लीज समझौते के संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:

क. स्थल लागत को वर्तमान ₹211.78 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम ₹302.15 करोड़ किया जाए, जिसमें हुडको ऋण पर दिए गए ब्याज की लागत (भूमि सौंपने तक पूंजीकृत) और भूमि मालिकों/प्रभावितों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे (भुगतान किए जाने पर शामिल किए जाने वाले) को शामिल किया जाए और इसे दिनांक 24.05.2022 से प्रभावी बनाया जाए।

ख. विस्तारित रियायत अवधि में लीज रेंटल में वार्षिक वृद्धि की दर 6% प्रति वर्ष तय की जाए, जो दिनांक 24.05.2038 से प्रभावी होगी (अर्थात दिनांक 24.05.2008 की हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के 31वें वर्ष की शुरुआत से)।

ग. दिनांक 24.05.2038 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत की अवधि बढ़ाने हेतु और उपर्युक्त (क) और (ख) के अधीन संशोधित भूमि लीज निष्पादित करना।

घ. दिनांक 24.05.2038 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार की सहमति के बारे में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को सूचित करना।

6. कर्नाटक सरकार के अनुमोदन और सिफारिशों के आधार पर, नागर विमानन मंत्रालय ने बीआईएएल से उनके पत्र दिनांक 3 मार्च 2021 (अनुलग्नक-VIII) के माध्यम से एक पुष्टि मांगी और प्राप्त की, जिसमें सूचित किया गया कि दिनांक 14 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इसके बोर्ड ने भूमि लीज समझौते में केएसआइआइडीसी द्वारा सुझाए गए संशोधनों/परिवर्तनों (जिसमें स्थल लागत, वार्षिक वृद्धि दर आदि शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

7. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नागर विमानन मंत्रालय, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.7.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 05 जुलाई, 2004 को हस्ताक्षरित (2006 में संशोधित) बीआईएएल के साथ रियायत समझौते की अवधि को दिनांक 24 मई, 2038 से 23 मई, 2068 तक 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित के अधीन है:

क. रियायत समझौते के निम्नलिखित अनुच्छेद हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ से प्रभावी और लागू नहीं रहेंगे:

i. अनुच्छेद 6.1.2 (भारत सरकार के दायित्व)
ii. अनुच्छेद 5.5 (मौजूदा हवाई अड्डा)
iii. अनुच्छेद 7.7 (चालू करना / कमीशनिंग)
iv. अनुच्छेद 8.17.2 (न्यूनतम व्यवधान)
v. अनुच्छेद 10.2 (हवाईअड्डा शुल्क)
vi. अनुच्छेद 15.5 (कानून में परिवर्तन)

ख. अवधि के विस्तार से भारत सरकार के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसमें सीए के खंड 3.3 के अनुसार 4% रियायत शुल्क की प्राप्ति भी शामिल है।

ग. प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगी।

घ. बीआईएएल कर्नाटक सरकार के आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2020 द्वारा परिकल्पित शर्तों का अनुपालन करेगा।

ड. बीआईएएल दिनांक 5 जुलाई, 2004 के रियायत समझौते (2006 में यथा संशोधित) के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

भवदीय,

(रुबीना अली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, विधान सौध, बेंगलुरु
2. प्रधान सचिव, बुनियादी ढांचा विकास, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, विकास सौध, बेंगलुरु
3. प्रबंध निदेशक, केएसआइआइडीसी, खनिजा भवन, बेंगलुरु
4. अध्यक्ष, ऐरा, ऐरा भवन, एस. जे. एयरपोर्ट, नई दिल्ली
5. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आर. जी. भवन, नई दिल्ली
6. महानिदेशक, डीजीसीए, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली
7. महानिदेशक, बीसीएएस, जनपथ, नई दिल्ली

प्रतिलिपि इन्हें भी:

1. माननीय नागर विमानन मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (नागर विमानन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. नागर विमानन मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव
4. नागर विमानन मंत्रालय के सभी प्रभाग

अनुलग्नक-I

बीआईएएल/एमडीएण्डसीइओ/2019-20

17/09/2019

सेवा में,

नागर विमानन मंत्रालय,
भारत सरकार
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 110003

ध्यानार्थ : सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

आदरणीय महोदय,

विषय: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, बेंगलुरु के संबंध में रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

संदर्भ: दिनांक 5 जुलाई 2004 और दिनांक 20 नवंबर 2006 का रियायत समझौता।

यह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("बीआईएएल") के बीच किए गए रियायत समझौते के संदर्भ में है।

जैसा कि आप जानते होंगे, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे व्यस्त और सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हवाईअड्डा है। हवाईअड्डे का यात्री यातायात दहाई अंक की दर से बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसने 3.33 करोड़ (33.3 मिलियन) यात्रियों को संभाला है। नागर विमानन क्षेत्र में इस असाधारण वृद्धि के अनुरूप, बीआईएएल वर्तमान में दूसरे रनवे, दूसरे टर्मिनल और संबंधित अवसंरचना के विनिर्माण

सहित बड़ी विस्तार परियोजनाओं को शुरू कर रहा है, जैसा कि रियायत समझौते में प्रदान किया गया है।

रियायत समझौते का अनुच्छेद 13.7.1 यह प्रावधान करता है कि, हवाईअड्डा उद्‌घाटन तिथि की सत्ताइसवीं (27वीं) वर्षगांठ से पहले किसी भी समय, रियायत समझौते की अवधि को बीआईएएल के विकल्प पर 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में बीआईएएल ने हवाईअड्डे और संबंधित अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विस्तार तथा विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग व क्षेत्रीय विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, रियायत समझौते में प्रदान की गई समयावधि को आगे बढ़ाने के विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। तदनुसार, रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के विकल्प का उपयोग करने हेतु पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय बोर्ड में लिया गया है।

इस पत्र के माध्यम से, बीआईएएल एतद्द्वारा भारत सरकार को रियायत समझौते के अनुच्छेद सं. 13.7.1 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, रियायत समझौते की अवधि को 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाने के अपने इरादे और निर्णय की सूचना देता है।

हम इस मामले में आपकी सहमति और निरंतर सहयोग की आशा करते हैं।

भवदीय,

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए

(हस्ताक्षरित)

(हरी मारार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार।

(अनुलग्नक-II)

बीआईएएल /एमडी एण्ड सीईओ/2019-20

18/11/2019

सेवा में,

नागर विमानन मंत्रालय,
भारत सरकार
राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली – 110003

ध्यानार्थ : सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

विषय: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, बेंगलुरु (केआईएबी) के संबंध में रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

संदर्भ:

1. दिनांक 5 जुलाई 2004 और दिनांक 20 नवंबर 2006 का रियायत समझौता।
2. बीआईएएल /एमडी एण्ड सीईओ/2019-20 दिनांक 17.09.2019।

आदरणीय महोदय,

यह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("बीआईएएल") के बीच किए गए रियायत समझौते तथा संदर्भ 2 में उल्लिखित हमारे पत्र के संबंध में है।

जैसा कि आप जानते होंगे, केआइएबी देश का तीसरा सबसे व्यस्त और सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हवाई अड्डा है। केआइएबी ने हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से 10% से अधिक की संचयी औसत वृद्धि दर दर्ज की है। बीआईएएल को कर्नाटक में अवसंरचना क्षेत्र में सबसे सफल पीपीपी मॉडलों में से एक माना जाता है। कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व वाले बोर्ड के तहत, बीआईएएल ने क्षमता विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने और यात्री अनुभव को बेहतर निष्पादित करने के लिए अत्याधुनिक हवाईअड्डे की अवसंरचना के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।

- बीआईएएल के शेयरधारकों और प्रबंधन के दृष्टिकोण एवं मूल्यों ने यह सुनिश्चित किया है कि बड़े पैमाने की विस्तार परियोजनाओं के लिए आपेक्षित भारी निवेश आंतरिक संचयन (इंटरनल एक्रूअल्स) और ऋण के माध्यम से पूरा किया जाए, जिससे व्यवसाय

के 10 में से 8 वर्षों में शेयरधारकों के लाभांश को वापस व्यवसाय में ही लगाया गया है।

- बीआईएएल ने यात्री सुविधाओं और सेवाओं के अपने उच्चतम स्तर के माध्यम से विश्व उड्डयन मानचित्र पर केआइएबी की एक प्रमुख स्थिति सुनिश्चित की है।
- केआइएबी की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रेटिंग हमेशा बहुत अधिक रही है, जो यात्रियों और अन्य उपयोगकर्ताओं को विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
- एयरलाइनों/विमानन भागीदारों, वाणिज्यिक रियायतग्राहियों और सभी संप्रभु निकायों के साथ सहयोग और परामर्श का बीआईएएल का मूल सिद्धांत उद्योग में एक बेंचमार्क बन गया है।
- एक्सेंचर, आईबीएम और यूनिसिस जैसी आईटी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी में बीआईएएल में प्रौद्योगिकी संचालित डिजिटल पहलों को बढ़ावा दिया जाता है।
- जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए गए निरंतर सुधारों के माध्यम से सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) हमारे संचालन का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है।
- बीआईएएल ने हवाईअड्डे के आसपास के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में अवसंरचना और रणनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सार्थक व रचनात्मक योगदान देकर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

रियायत समझौते का अनुच्छेद 13.7.1 यह प्रावधान करता है कि, हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि की सत्ताइसवीं (27वीं) वर्षगांठ से पहले किसी भी समय, रियायत समझौते की अवधि को बीआईएएल के विकल्प पर 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। इस पत्र के माध्यम से, BIAL एतद्द्वारा भारत सरकार को रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के अपने विकल्प का उपयोग करने के अपने इरादे और निर्णय की सूचना देता है।

हवाईअड्डे और उससे जुड़े अवसंरचना के बड़े विस्तार तथा विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग एवं कर्नाटक राज्य के आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए यह विस्तार न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य भी है। यह विस्तार हमारे भविष्य के सभी ऋणों के लिए परियोजना ऋण पुनर्भुगतान अवधि से परे एक स्पष्ट समय अवधि उपलब्ध होने की ऋणदाताओं की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास की निविदा प्रक्रिया के दौरान, बड़े निवेश को आकर्षित करने और इसे एक दीर्घकालिक व्यावहारिक परियोजना बनाने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को एक लंबी रियायत अवधि का आश्वासन दिया गया था। यह प्रतिबद्धता बाद में रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.7.1 के रूप में परिलक्षित हुई, जहाँ हवाईअड्डा प्रचालन को अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बिना शर्त लीज अवधि विस्तार का विकल्प दिया गया था।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 विभिन्न नई पहलों का प्रस्ताव करते हुए, क्षेत्र में मौजूदा रियायत समझौतों और अनुबंधों के प्रावधानों का अनुपालन करने की स्पष्ट रूप से बात करती है। इस महत्वपूर्ण समय पर जब भारत अधिक विदेशी निवेश के लिए आक्रामक रूप से विपणन कर रहा है, अधिक निजी और अंतर्राष्ट्रीय

निवेश को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए संविदात्मक व्यवस्थाओं का सम्मान करना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, हम इस मामले में आपकी सहमति और निरंतर सहयोग की प्रतीक्षा करते हैं।

भवदीय,

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए

(हस्ताक्षरित)

(हरी मारार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार।

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 651] नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2008 / वैशाख 31, 1930

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का.आ. 1181(अ).— सांविधिक आदेश संख्या 1170(अ) के तहत दिनांक 16 मई, 2008 की समसंख्याक फाईल के तहत जारी अधिसूचना के आंशिक परिवर्तन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवनाहल्ली पूर्व अधिसूचित 23 मई, 2008 को 00.01 बजे के स्थान पर 24 मई, 2008 को 00.01 बजे आरंभ होगा

[फा. सं. AV. 20014/001/2008-AD]

अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

संदर्भ: बीआईएएल/एमओसीए/एमडी एण्ड सीईओ

22 अक्टूबर 2020

श्री प्रदीप सिंह खरोला, आईएएस
सचिव,
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली 110 003

विषय: बीआईएएल के साथ रियायत समझौते की अवधि को अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु नागर विमानन मंत्रालय की सहमति के संबंध में।

संदर्भ:

1. बीआईएएल/एमडीएण्डसीईओ /2019-20 दिनांक 17 सितंबर 2019
2. दिनांक 5 जुलाई 2004 और 20 नवंबर 2006 का रियायत समझौता
3. बीआईएएल/एमडीएण्डसीईओ /2019-20 दिनांक 18 नवंबर 2019
4. एमओसीए का पत्र सं. एवी.20015/12/2019-एडी दिनांक 26 नवंबर 2019
5. सरकारी आदेश सं. आईडीडी 121 डीआईए 2019 दिनांक 16 अक्टूबर 2020

आदरणीय महोदय,

यह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच निष्पादित रियायत समझौते के संदर्भ में है।

कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) के उचित अनुमोदन के बाद, बीआईएएल ने अपने पत्र दिनांक 17 सितंबर 2019 (संदर्भ 1) के माध्यम से आपके कार्यालय को संदर्भ 2 में उल्लिखित रियायत समझौते के अनुच्छेद संख्या 13.7.1 में निहित प्रावधान के अनुसार 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के अपने इरादे और निर्णय से अवगत कराया था। इसके पश्चात बीआईएएल द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2019 को उक्त विषय पर सहमति का अनुरोध करते हुए एक और अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया था (संदर्भ 3)।

बीआईएएल के अनुरोध के क्रम में, दिनांक 26 नवंबर 2019 के एक पत्र में, आपके कार्यालय ने बीआईएएल द्वारा मांगे गए विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार से टिप्पणियां मांगी थीं। कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव के गहन परीक्षण के बाद तथा कर्नाटक सरकार के माननीय महाधिवक्ता के परामर्श से संदर्भ 4 में उल्लिखित सरकारी आदेश (आपको संबोधित) जारी किया है, जिसमें दिनांक 25 मई 2038 से अगले 30 वर्षों की अवधि के लिए रियायत समझौते के विस्तार और रियायत समझौते के साथ सह-सावधि भूमि लीज समझौते के संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।

जैसा कि हमारे पहले के पत्रों में भी उल्लेख किया गया था, नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ती मांगों और कर्नाटक में आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक हवाईअड्डे के बड़े विस्तार एवं संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए रियायत समझौते का विस्तार बीआईएएल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विस्तार ऋणदाताओं के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, जो उधार ली गई राशियों के लिए परियोजना ऋण पुनर्भुगतान अवधि से परे एक स्पष्ट समय अवधि उपलब्ध होने की उम्मीद करते हैं।

उपर्युक्त के प्रकाश में, आपके कार्यालय से विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 24 मई 2038 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने हेतु यथाशीघ्र अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें।

इस विषय पर आपकी शीघ्र सहमति और निरंतर सहयोग की प्रतीक्षा है।

भवदीय,

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए

(हस्ताक्षरित)

(हरी मारार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संलग्नक:

1. बीआईएएल/एमडीएण्डसीईओ /2019-20दिनांक 17 सितंबर 2019
2. बीआईएएल/एमडीएण्डसीईओ /2019-20दिनांक 18 नवंबर 2019
3. नागर विमानन मंत्रालय पत्र संख्या एवी.20015/12/2019-एडी दिनांक 26 नवंबर 2019
4. सरकारी आदेश संख्या IDD 121 डीआईए 2019 दिनांक 16 अक्टूबर 2020

स्मरण पत्र

फा. सं. AV.20015/12/2019-AD

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली
दिनांक 26.11.2019

सेवा में,

श्री विजय भास्कर टी एम,
मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार,
कमरा नंबर 320, तीसरी मंजिल,
विधान सौध, बैंगलोर-01।

विषय: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु के संबंध में रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

महोदय,

मुझे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु के संबंध में रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) से प्राप्त पत्र संख्या बीआईएएल/एमडीएण्डसीईओ /2019-20 दिनांक 18.11.2019 को संलग्न कर भेजने का निर्देश हुआ है।

कर्नाटक सरकार से अनुरोध है कि वह मैसर्स बीआईएएल के इस अनुरोध पर अपनी टिप्पणियां जल्द से जल्द इस मंत्रालय को भेजने की कृपा करे।

भवदीय,

(एस के सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24610361

संलग्नक: यथोपरि।

कर्नाटक सरकार

सं: आईडीडील 120 डीआईए 2019

कर्नाटक सरकार सचिवालय

विकास सौध,

बैंगलोर, दिनांक: 20.10.2020

प्रेषक:

सरकार के प्रधान सचिव,
अवसंरचना विकास, बंदरगाह और
अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग,
बैंगलोर – 560 001।

सेवा में:

सचिव, भारत सरकार,
नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, ब्लॉक बी,
सफदरजंग हवाईअड्डा क्षेत्र,
वसंत विहार,
नई दिल्ली 110003

महोदय,

विषय: केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, बेंगलुरु के संबंध में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का रियायत समझौते की अवधि के विस्तार का प्रस्ताव।

संदर्भ: नागर विमानन मंत्रालय के अवर सचिव का डी.ओ. पत्र सं. एवी-20015/12/2019-एडी अनुभाग, दिनांक 13.12.2019।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु के संबंध में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के प्रस्ताव का परीक्षण किया है और कर्नाटक सरकार के आदेश संख्या आईडीडी 120 डीआईए 2019 दिनांक: 16.10.2020 (सरकारी आदेश की प्रति संलग्न) में परिकल्पित शर्तों के अधीन, 24.05.2038 से आगे 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) के प्रस्ताव को अपनी **सहमति** प्रदान करती है।

भवदीय,

(एस.एन. कलावती)
अवर सचिव, सरकार-2
बुनियादी ढांचा विकास, बंदरगाह और
अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग।

संलग्नक: कर्नाटक सरकार का आदेश सं. आईडीडी 120 डीआईढ 2019 दिनांक: 16.10.2020

कर्नाटक सरकार की कार्यवाही

विषय: बीआईएएल के साथ रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

पढ़ा गया: बीआईएएल का पत्र संख्या: बीआईएएल /एमडीएण्डसीएमडी/2019-20, दिनांक: 17.09.2020

प्रस्तावना

बेंगलुरु में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया गया था और यह उस रियायत समझौते द्वारा शासित होता है जो दिनांक 05.07.2004 को भारत सरकार , नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से, और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के बीच किया गया था। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मैसर्स BIAL ने भारत सरकार से रियायत समझौते की अवधि के विस्तार का अनुरोध किया है और भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार की राय मांगी है। इस रियायत समझौते के खंड 13.7.1 के अनुसार, रियायत समझौते की वैधता हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि से 30 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसके बाद समझौते की अवधि को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मैसर्स बीआईएएल के विकल्प पर 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

2. मैसर्स बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक: 17.09.2019 के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय , भारत सरकार से यह हवाला देते हुए अनुरोध किया था कि हवाई अड्डे के बड़े विस्तार और संबंधित बुनियादी ढांचे तथा उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती

मांग व क्षेत्रीय विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश के लिए, बीआईएएल के संबंध में रियायत समझौते की अवधि को 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाए। तत्पश्चात नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28.10.2019 के माध्यम से सूचित किया था कि रियायत अवधि के विस्तार के अनुरोध के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

3. बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मैसर्स बीआईएएल ने रियायत समझौते के अनुच्छेद सं. 13.7.1 में दिए गए प्रावधान के अनुसार 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के अपने विकल्प का उपयोग करने के इरादे और निर्णय को सूचित किया है।

4. इस मामले का सरकार में कर्नाटक सरकार के माननीय महाधिवक्ता के परामर्श से परीक्षण किया गया है, और इसलिए यह आदेश जारी किया जाता है:

सरकारी आदेश संख्या: आईडीडी 120 डीआईए 2019
बेंगलुरु, दिनांक: 16.10.2020

प्रस्तावना में स्पष्ट की गई परिस्थितियों में, प्रस्ताव के गहन परीक्षण के बाद, निम्नलिखित के लिए कर्नाटक सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है:

क) हुडको ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की लागत (भूमि सौंपने तक पूंजीकृत) और भूमि मालिकों/प्रभावितों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे (भुगतान किए जाने पर शामिल किए जाने वाले) को शामिल करते हुए, स्थल लागत को वर्तमान ₹211.78 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम ₹302.15 करोड़ किया जाए तथा इसे दिनांक 24.05.2022 से प्रभावी बनाया जाए।

ख) विस्तारित रियायत अवधि में लीज रेंटल में वार्षिक वृद्धि की दर 6% प्रति वर्ष तय की जाए, जो 24.05.2038 से प्रभावी होगी (अर्थात 24.05.2008 की हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के 31वें वर्ष की शुरुआत से)।

ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अधीन, दिनांक 24.05.2038 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत की अवधि बढ़ाने हेतु संशोधित भूमि लीज समझौता निष्पादित करना।

घ) 24.05.2038 से आगे 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार की सहमति के बारे में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को सूचित करना।

2. यह आदेश वित्त विभाग के टिप्पणी संख्या एफडी/135 ईएक्सपी-1/2020 दिनांक: 11.09.2020 और विधि विभाग की राय दिनांक: 22.07.2020 की सहमति से जारी किया जाता है।

कर्नाटक के राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

(हस्ताक्षरित)

(चंद्रकला एस.एन.)

अवर सचिव, सरकार (प्रभारी),

बुनियादी ढांचा विकास, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग।

सेवा में:

संकलनकर्ता , कर्नाटक राजपत्र, राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु और इस विभाग को 50 प्रतियां आपूर्ति करने हेतु।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड इ), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलुरु-01।
2. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001।
3. सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, देवनाहल्ली, बेंगलुरु (ग्रामीण) जिला।
4. प्रबंध निदेशक, केएस आईआईडीसी, खनिजा भवन, बेंगलुरु।
5. वरिष्ठ निदेशक, पीएफ एंड आर प्रभाग, योजना विभाग, एम.एस. भवन, द्वितीय चरण, बेंगलुरु।
6. अवर सचिव (व्यय-I), वित्त विभाग, विधान सौध, बेंगलुरु।

प्रतिलिपि इन्हें भी:

1. प्रधान सचिव के निजी सचिव , अवसंरचना विकास, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, विकास सौध, बेंगलुरु।
2. अपर सचिव (हवाई अड्डे) के जीपीए , बुनियादी ढांचा विकास, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, विकास सौध, बेंगलुरु।
3. निदेशक, पीपीपी सेल, बुनियादी ढांचा विकास, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, विकास सौध, बेंगलुरु - आईडीडी वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।
4. अनुभाग गार्ड फाइल / अतिरिक्त प्रतियां।

संदर्भ: **BIAL/SEC/2020-21** **दिनांक**: **3 मार्च**, **2021**

सेवा में,
सुश्री रुबीना अली,
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय,
"बी" ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003।

आदरणीय महोदया,

विषय: **रियायत समझौते का विस्तार।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, हम सूचित करना चाहते हैं कि बीईएएल ने नागर विमानन मंत्रालय ("एमओसीए") के माध्यम से भारत सरकार से रियायत अवधि की प्रारंभिक अवधि के समापन/समाप्ति से आगे 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए रियायत समझौते ("सीए") के तहत "अवधि" के विस्तार का अनुरोध किया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से रियायत समझौते के तहत अवधि को 30 वर्षों तक बढ़ाने पर उनके विचार मांगे थे।

इसके परिणामस्वरूप, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से भूमि लीज समझौते में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, जो वर्ष 2038 से 2068 तक आगे 30 वर्षों की अवधि के लिए रियायत समझौते के विस्तार के साथ सह-सावधि है।

हम सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 14 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) ने भूमि लीज समझौते के लिए केएस आईआईडीसी द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित संशोधनों/परिवर्तनों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी:

क) कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड को देय लीज रेंटल के उद्देश्य से, KSIIDC और कंपनी के बीच भूमि लीज विलेख के अनुसूची-ग में परिभाषित "स्थल लागत" में संशोधन, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी करने के लिए ₹211.78 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम ₹302.15 करोड़ किया गया है।

ख) दिनांक 24 मई, 2038 से 23 मई, 2068 तक विस्तारित रियायत अवधि में लीज रेंटल वृद्धि की वार्षिक वृद्धि दर 6% प्रति वर्ष तय की जाए।

ग) ऊपर क्रमांक (ख) में तय की गई वार्षिक क्रमिक वृद्धि की दर 24 मई, 2038 (अर्थात) हवाई अड्डा उद्घाटन तिथि के 31वें वर्ष की शुरुआत से लागू होगी।

घ) संदर्भित सभी तिथियों की गणना हवाई अड्डा उद्‌घाटन तिथि (अर्थात) 24 मई, 2008 से की जाएगी।

उपर्युक्त विवरण से यह नोट किया जा सकता है कि कर्नाटक सरकार / KSIIDC द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था। यह आपकी दयालु जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

धन्यवाद,

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए

(हस्ताक्षरित)

(एम.टी. शिवा कुमार)

कंपनी सचिव

प्रतिलिपि: श्री जोयंता चक्रवर्ती, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय।